

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 312/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जमी वगैरा बनाम खेरा वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री पवन धारीवाल

निर्णय

दिनांक – 11.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सेड़वा मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र सेड़वा, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 119 रकबा 96.08 बीघा, खसरा सं. 122 रकबा 15.14 बीघा, खसरा सं. 176 रकबा 02.12 बीघा, कुल रकबा 114.14 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र सेड़वा, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 119 रकबा 96.08 बीघा, खसरा सं. 122 रकबा 15.14 बीघा, खसरा सं. 176 रकबा 02.12 बीघा, कुल रकबा 114.14 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।


(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1481

प्रार्थीगण :-

1.जमी पुत्री अलाना एवं
प्रार्थीगण सं. 2 से 18
जाति मुसलमान, निवासी सेडवा।

दिनांक 27/6/18

विप्रार्थीगण:-

1.खेरा 2.इमामदीन पि. करीमना 3.आमनत पलि
वली मोहमद 4.अब्दुल मुस्तफा पुत्र वली मोहमद
5.हनीफ पुत्र ताजू 6.मीजू 7.फतु पि.बचू
जातियान मुसलमान 8.द्वारका 9.पूनमा पि.बादरा
10.मोबता पुत्र तेजा 11.सुखराम पुत्र पेमा
जाति विश्नीई, निवासी सेडवा
12.तहसीलदार सेडवा 13.सरपंच जरिये ग्राम
पंचायत सेडवा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन सं. 312/2017

दिनांक : 11.06.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र सेडवा के मौजा सेडवा के खेत खसरा सं. 119 रकबा 96.08 बीघा, खसरा सं. 122 रकबा 15.14 बीघा, खसरा सं. 176 रकबा 02.12 बीघा, कुल रकबा 114.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण जमी वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

27/6/18

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन
चौहटन